कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 343/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक- 30.08.2026**

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

□ नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व शादी कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

□ थाना बरदह पुलिस ने गैर प्रान्त गुजरात से नाबालिग को सकुशल बरामद कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 12.06.2026 को थाना बरदह पर एक नाबालिग के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में मु0अ0सं0 207/2026, धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आने पर अभियोग में धारा 61(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी–
दिनांक 26.08.2026 को उपनिरीक्षक शीतला प्रसाद कुशवाहा मय पुलिस टीम द्वारा गैर प्रान्त गुजरात में नाबालिग की तलाश एवं बरामदगी हेतु प्रयास किया गया। प्राप्त लोकेशन एवं सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया गया। इसी क्रम में दिनांक 30.08.2026 को जिवली तिराहे के पास अभियुक्त रवि कुमार गौतम पुत्र बिन्दलाल, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम मुचरा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को नाबालिग के साथ पाया गया। पुलिस को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम ने पकड़ लिया। अभियुक्त को समय करीब 11:55 बजे गिरफ्तार किया गया तथा नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0 207/2026, धारा 87, 137(2), 61(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
रवि कुमार गौतम पुत्र बिन्दलाल, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम मुचरा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–
1. उ0नि0 शीतला प्रसाद कुशवाहा, थाना बरदह
2. का0 त्रिलोकनाथ पाण्डेय, थाना बरदह
3. रि0म0आ0 स्वाती, थाना बरदह

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

□ साइबर फ्रॉड में ठगी गई ₹7,000 की धनराशि कराई गई वापस

□ साइबर हेल्पडेस्क की त्वरित कार्रवाई से पीड़ित को मिली राहत

➡□वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देवगांव साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई ₹7,000 की धनराशि वापस कराई गई।

➡□थाना देवगांव क्षेत्र निवासी व्यक्ति के साथ UPI के माध्यम से ₹26,417 का साइबर फ्रॉड हुआ था। पीड़ित द्वारा तत्काल 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई। NCRP पोर्टल के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए ₹7,000 की धनराशि होल्ड कराई गई, जिसे आवश्यक प्रक्रिया के बाद पीड़ित के खाते में वापस कराया गया।

साइबर टीम–
उ0नि0 पंकज कुमार सिंह, का0 विपिन यादव एवं रि0का0 प्रवीण कुशवाहा, थाना देवगांव।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

□ घर से भटकी 12 वर्षीय बालिका को मुबारकपुर पुलिस ने 03 घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया
□ त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को आवश्यक विधिक प्रक्रिया के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गुमशुदा व्यक्तियों की त्वरित बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 29.08.2026 को थाना मुबारकपुर क्षेत्र से एक 12 वर्षीय बालिका के घर से बिना बताए चले जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बालिका की तलाश शुरू की गई।

पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई–
पुलिस टीम द्वारा आसपास के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग की गई तथा स्थानीय लोगों, दुकानदारों एवं राहगीरों से जानकारी प्राप्त करते हुए बालिका की तलाश की गई।

सकुशल बरामदगी एवं सुपुर्दगी–
पुलिस की त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप बालिका को सठियाव चौराहे के पास सकुशल बरामद कर थाना लाया गया। आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम–
चौकी प्रभारी सठियाव नीरज कुमार शुक्ला मय हमराह पुलिस टीम, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़
□ अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार
□ थाना निजामाबाद पुलिस ने .315 बोर का तमंचा, जिन्दा कारतूस व ₹100 किए बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को अवैध तमंचा एवं जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण–
आज दिनांक 30.08.2026 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध असलहे के साथ गोझवां के पास मौजूद है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम बरखू कुमार पुत्र स्व0 रघुवीर राम, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी में उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं ₹100 नगद बरामद हुआ।
अभियुक्त को समय करीब 02:12 बजे गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 218/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–
बरखू कुमार पुत्र स्व0 रघुवीर राम, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम मिर्जापुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी–

➡□ एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर

➡□ एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

➡□ ₹100 नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–
1. व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव, थाना निजामाबाद
2. रि0का0 मनीष कुशवाहा, थाना निजामाबाद
3. रि0का0 नीरज कुमार, थाना निजामाबाद

थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़
□ प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या के मामले में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार
□ थाना रौनापार पुलिस ने अभियुक्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में थाना रौनापार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.07.2026 को थाना रौनापार क्षेत्र में एक युवती द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 207/2026, धारा 108 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप था कि मृतका को लगातार प्रताड़ित एवं मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 49 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। प्रकरण में एक अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 30.08.2026 को थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्ता के ग्राम बेलकुण्डा रसूलपुर स्थित घर पर पहुंचकर अभियुक्ता, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम बेलकुण्डा रसूलपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11:35 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्ता को माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 207/2026, धारा 108/49 बीएनएस, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे, थाना रौनापार
2. का0 उमेश सिंह, थाना रौनापार
3. का0 अर्जुन कुशवाहा, थाना रौनापार
4. रि0का0 सुमित सिंह, थाना रौनापार
5. रि0का0 आरजू, थाना रौनापार